मध्यप्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति

डॉ. गायत्री मिश्रा
प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
शा.ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय
रीवा (म.प्र.)
एवं
अंजुलि शुक्ला
एम.फिल.(राजनीतिशास्त्र)

सारांश

महिलायें देश की आबादी का आधा हिस्सा है, लेकिन राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। आजादी के ७० साल बीत जाने के बाद आज भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हो पाई है। महिलायें जीवन के हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही है। किन्तु राजनीति का क्षेत्र उनके लिये अभी भी दूर है, महिलाएं राजनीति में रूचि नहीं ले रही है तथा महिलाओं के लिये राजनीति का अर्थ मतदान करना ही रह गया है। म.प्र. की १५वीं विधानसभा के मतदान में महिला मतदाता ने हिस्सा लिया किन्तु महिला प्रत्याशी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमेशा की तरह पुरूष प्रत्याशी से अधिक मत से विजयी रहे।

प्रस्तुत शोध पत्र मध्यप्रदेश में महिलाओं की राजनैतिक स्थिति पर केन्द्रित है। इस शोध पत्र में मध्यप्रदेश की राजनीति में महिला सहभागिता और जागरुकता का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द - *स्वतंत्रता, संवैधानिकता, राजनीति दल, महिला जागरूकता, विधानसभा उम्मीदवार।*

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

प्रस्तावना-

चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का अंग रहा है। यह क्षेत्र सम्राट अशोक के समय बौध्द धर्म के आलोक से प्रकाशित होने वाला मध्यप्रदेश 1 नवम्बर 1956 को देश के नक्शे पर अपने अस्तित्व में आया। मध्यप्रदेश मध्यभारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य एवं पुराने मध्य भारत के हिन्दी भाषी क्षेत्र के एकीकरण से बना।

सन् 1956 के पूर्व छत्तीसगढ़ और वर्तमान महाकौशल सी.पी. बरार के हिस्से थे। जिन्हें सम्मिलित रूप से मध्यप्रदेश कहा जाता था लेकिन सीमा रेखा और स्थिति वर्तमान मध्यप्रदेश से काफी भिन्न थी। मध्यप्रदेश देश के मध्य में स्थित है। इसलिये इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्यप्रदेश को ब्रिटिशकाल में सेंट्रल प्रोविसेस के नाम से जाना जाता था। 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग होने के पश्चात् 3,08,245 वर्ग कि.मी. के साथ म.प्र. वर्तमान स्थिति में है। वर्तमान में 52 जिले है।

म.प्र. में विधानसभा की 230 सीट है। राज्य से भारत की संसद को 40 सदस्य भेजे जाते है। जिनमें से 29 सदस्य लोक सभा और 11 सदस्य राज्यसभा के लिये नियुक्त होते है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है जोकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर नियुक्ति किया जाता हैं। जो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। वर्तमान में राज्य के राज्यपाल लाल जी टंडन तथा मुख्यमंत्री कांग्रेस के कमलनाथ जी हैं। दिसम्बर 2018 में राज्य के चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटों में जीत हासिल की। मध्यप्रदेश विधानसभा में मनोनीत एग्लो इण्डियन मिलाकर 231 सदस्य है। एग्लो इण्डियन सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मध्यप्रदेश की विधानसभा में पुरूष प्रत्याशी के साथ साथ महिला प्रत्याशियों की भी उपस्थिति रही है। मध्यप्रदेश की विधानसभा में महिला प्रत्याशी रूचि ले रही है तथा समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। मध्यप्रदेश राजनीति में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मतदान के दौरान महिलाएं बढ़ कर हिस्सा लेती है न सिर्फ मतदान में अपितु प्रत्याशी के रूप में भी महिलाओं की भूमिका अग्रणी है। समय-समय पर महिला मंत्री पद भी धारण की है। 2018 विधानसभा में 2 महिला विधायकां को मंत्री पद मिला है।

1. श्रीमती इमरती देवी - महिला एवं बाल विकास मंत्री
2. म.प्र. की राजनीति में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन.
3. म.प्र. विधानसभा में महिला विधायकों का अध्ययन।
4. म.प्र. महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन।
5. म.प्र. की राजनीति में महिला प्रत्याशी की संख्या में कमी के कारणों का अध्ययन।

साहित्य समीक्षा-

1. **बारबरा बर्टेल (2017)[1]** ने अध्ययन में यह पाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं ने राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी आवाज का इस्तेमाल किया है तथा आर्थिक और सरकारी अभिजातवर्गों की असमान प्रथाओं के खिलाफ कार्यवाही का विरोध किया।

2. **मृणाल पाण्डे (1987)[2]** ने अपने अध्ययन में पाया कि हमारे उपनिषदों पुराणों के समय से स्त्रियों को लेकर जिन नियमों और मर्यादाओं की रचना हुई उनकी स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता के खिलाफ निहित स्वार्थ द्वारा जो महीन किस्म का सांस्कत्रतिक षड़यंत्र रचा गया है। वह आज के समय में भी चल रहा है, भारतीय राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति नाम मात्र की है।

3. **शीला मिश्रा (1989)[3]** ने अपने अध्ययन में पाया कि व्यवहारिक दृष्टि से सभी महिला राजनीतियों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को किसी एक वर्ग में सम्मिलित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है।

शोध प्रविधि-

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। द्वितीयक स्रोतों से अध्ययन सामग्री एकत्र की गई है। जिसमें पत्र, पत्रिकायें,पुस्तकें तथा इन्टरनेट का प्रयोग किया गया है।

मध्यप्रदेश की राजनीति में महिलाओं की स्थिति-

जब राजनीति में महिला भागीदारी की बात आती है तो आंकड़ बेहद निराशाजनक होते है। राजनीति हिस्सेदारी के मामले के सभी पार्टियों का रवैया लगभग एक जैसा होात है। विधानसभा, लोकसभा और राज्य सभा में महिलाओं के लिये आरक्षण की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। इसलिये पार्टियों का तर्क होता है कि सरकार बनाने के लिये उस उम्मीदवार को टिकट दिया जाये तो जीत दिला सकें। आजादी के 7 दशक बाद की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी मात्र 12 प्रतिशत ही है।

म.प्र. को गठन **1956** में हुआ और म.प्र. के आम चुनाव **1957** में हुये जिसमें उम्मीदवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। **1957** के चुनाव में **36** महिला उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया किन्तु उनमें से सिर्फ **15** उम्मीदवार ही विजय प्राप्त कर पाई। इसी क्रम में **1962** के आम चुनाव में **40** महिला प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया और सिर्फ **15** प्रत्याशी ही जीत हासिल कर पाई। तथा **1957** कों चुनाव में 36 महिला उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया किन्तु उनमें से सिर्फ 15 उम्मीदवार ही विजय प्राप्त कर पाई। इसी क्रम में 1962 के आम चुनाव में 40 महिला प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया और सिर्फ 15 प्रत्याशियो की ही जीत हासिल कर पाई। तथा 1967 के विधानसभा चुनाव में 17 महिला प्रत्याश्यिों ने भाग लिया ओर केवल 10 महिला की विधायक बन पाई। उसी तरह 1972 में भी विधानसभा का चुनाव हुआ और

इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ की एक भी महिला प्रत्याशी जीत नहीं पाई और महिला पंत्यशियों का मनोबल टूट सा गया किन्तु अगले मतदान 1977 में फिर से 48 महिलाओं से भाग लिया और उनमें से 10 महिला प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की और अपना टूटा हुआ मनोबल फिर प्राप्त किया। 1980 में 50 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में आई और 18 महिला उम्मीदवार ने विजय प्राप्त किया। 1965 में महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृध्दि हुई और इस बार 75 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में आई और अब तक की सबसे ज्यादा महिला विजयी विधायकों का रिकार्ड बनाया 1985 में सबसे ज्यादा महिला विधायक विधानसभा में थी। इस प्रकार 1990 में महिला उम्मीदवारों की संख्या में वृध्दि हुई और उनकी संख्या 153 हो गई और विजय प्राप्त करके सिर्फ 11 महिला ही विधानसभा पहुँची। 1993 के आम चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या 153 थी। में मध्यप्रदेश की दसवीं विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें 181 महिला प्रत्याशी थी एवं मात्र 26 महिला उम्मीदवार ही विधायक बनी थी! 2003 के विधानसभा पहुँची। 2008 विधानसभा चुनाव में 226 महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया और सिर्फ 19 महिला ही विजयी हुई है। 2013 में 200 महिला प्रत्याशी ने भाग लिया और 30 महिला विधायक बनी।

15 वीं विधानसभा में महिला विधायक-

म.प्र. की सभी 230 विधानसभा सीटों पर कुल 2899 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें 250 महिलायें भी अपनी किस्मत अजमा रही थी। प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी ने 23 और कांग्रेस ने 28 महिलाओं को मैदान में उतारा था ये आंकड़ा 15 प्रतिशत से भी कम है। विधानसभा में कुल प्रत्याशियों का विवरण-

तालिका क्रमांक-1

राजनीतिक दल	**14वी विधानसभा**	**15वीं विधानसभा**
इण्डियन नेशनल कांग्रेस	58	114
भारतीय जनता पार्टी	165	109
बहुजन समाजवादी पार्टी	4	2
समाजवादी पार्टी	--	1
निर्दलीय	3	4
कुल सदस्य	230	230

स्रोत-चुनाव आयोग मध्यप्रदेश के आंकड़े के अनुसार

इसी क्रम में महिला विधायकों की संख्या का विवरण-

तालिका क्रमांक-1

राजनीतिक दल	14वी विधानसभा	15वीं विधानसभा
इण्डियन नेशनल कांग्रेस	6	9
भारतीय जनता पार्टी	22	11
बहुजन समाजवादी पार्टी	2	1
कुल महिला सदस्य	30	30

स्त्रोत-चुनाव आयोग मध्यप्रदेश के आकड़े के अनुसार

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 14वीं विधानसभा में 30 महिला विधायक थी तथा 15वीं विधानसभा में 21 महिला विधायक ही विधानसभा में पहुँच सकी। तालिका में यह भी ज्ञात होता है कि महिला विधायकों की संख्या में कमी आई है। इस वर्ष जो भी महिला विधायक विजयी हुई है, वह निम्न है-

तालिका क्रमांक-3

क्र.	नाम	दल	निर्वाचन क्षेत्र
1.	श्रीमती इमरती देवी	कांग्रेस	डबरा
2.	श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया	कांग्रेस	भाण्डेर
3.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	भाजपा	शिवपुरी
4.	श्रीमती रामबाई गोविन्द्र सिंह	बसपा	पथरिया
5.	श्रीमती मनीषा सिंह	भाजपा	जैतपुर
6.	सुश्री मीना सिंह	भाजपा	मानपुर
7.	श्रीमती नंदनी भरावी	भाजपा	सिहोरा
8.	सुश्री हिना लिखीराम कावरे	कांग्रेस	लांजा
9.	श्रीमती सुनीता पटेल	कांग्रेस	गाडरवारा
10.	श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह	भाजपा	शमशावाद
11.	श्रीमती लीना संजय जैन	भाजपा	बासौदा

क्र.	नाम	दल	निर्वाचन क्षेत्र
12.	श्री कृष्णा गौर	भाजपा	गोविन्द्रापुरा
13.	श्रीमती गायत्री राजे पवार	कांग्रेस	देवास
14.	श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर	कांग्रेस	नेपालनगर
15.	श्रीमती झूमा डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी	कांग्रेस	भीकनगांव
16.	डॉ. विजयलक्ष्मी साधों	कांग्रेस	महेश्वर
17.	सुश्री चन्द्रभागा किराडे.	कांग्रेस	पानसेमल
18.	सुश्री कलावती भूरिया	कांग्रेस	जोबट
19.	श्रीमती नीना विक्रम वर्मा	भाजपा	धार
20.	श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड	भाजपा	इंदौर-4
21.	सुश्री उषा ठाकुर	भाजपा	डॉ.अम्बेडकर नगर महु

उक्त तालिका द्वारा यह स्पष्ट है, कि 15वीं विधानसभा 2018 में 21 महिला विधायक हैं इनमें से कुछ विधायकों को दोबारा विधानसभा पहुंचने का मौका मिला जो निम्न है- श्रीमती इमरती देवी, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, सुश्री मीना सिंह, श्रीमती नंदनी भरावी, सुश्री हीना लिखी राम कावरे, श्रीमती गायत्री राजे पवार, श्रीमती झूमा, डॉ. ध्यान सिंह सोलंकी, श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सुश्री उषा ठाकुर तथा शेष विधायक नव निर्वाचित हुई है इनमें से 2 महिला विधायकों को मंत्री पद भी प्राप्त है।

1. श्रीमती इमरती देवी - महिला एवं बाल विकास
2. डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ - संस्कृति शिक्षा एवं आयुष विभाग

निष्कर्ष-

मध्यप्रदेश की विधानसभा में कुल विधायकों की अपेक्षा महिला विधायकों की संख्या में कमी आई है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां टिकट के आवंटन में महिला प्रत्याशी के आपेक्षा पुरूष प्रत्याशियों पर अधिक विश्वास दर्शाते है जिस कारण 21वीं सदी में भी महिलायें राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पा रही है। जिस कारण महिला विधायकों की संख्या में कमी आई है। म.प्र. विधानसभा के 230 सदस्यों ने सिर्फ 21 महिला सदस्य है। मध्यप्रदेश की 15वीं विधानसभा में केवल 8.4 प्रतिशत फीसदी ही महिलायें है, जबकि 14वीं विधानसभा में 13 फीसदी थी।

मध्यप्रदेश विधानसभा को लेकर कुछ शोध की किये गये है-

इण्डिया स्पेंड ने मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनावों पर एक शोध किया था जिसमें पाया गया कि कुल विधायकों की संख्या का सिर्फ 8.4 ही महिला विधायक है। बल्कि 2013-14 से हुई चुनावों में 13 प्रतिशत महिला विधायक थी।

सुझाव -

1. सामाजिक न्याय के अंतर्गत महिलाओं को एक धरातल पर स्थान प्राप्त है। महिलाओं को न्याय से भी दूर रखा जाता है इसके लिये महिलाओं को जागरूक होना चाहिए।
2. सामाजिक एवं राजनीतिक के क्षेत्र में महिलाओं की योग्यतानुसार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करना।
3. महिलाओं की जागरूकता के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।
4. म.प्र. की राजनीतिक पार्टियों को महिला प्रत्याशियों की संख्या में वृध्दि करना चाहिये।
5. पंचायती चुनाव में म.प्र. में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, ठीक इसी प्रकार विधानसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिये।

संदर्भ सूची-

1. Burrell, Barbara (2017), Woman and Politics, America, Policy Studies organization.
2. पाण्डेय मृणाल (1987) स्त्री देह की राजनीति से देश की रजानीति तक,दिल्ली, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड।
3. मिश्रा शीला (1989) महिलाओं की राजनीतिक क्रियाशीलता एवं विविध राजनीतिक दल, Uppal public house of William caresa Study research centre and joint woman's programme page 59, 220, 279.
4. नव निर्मित विधायक (2018) Retrieved from http://www.vidhansabha.nic.in
5. खान आरिफ (2018) भारतीय राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व की दिशा और दशा, Retrieved from http://www.aarambhpatrica.com
6. http://www.shodhganga.com

******

नगरीय महिलाओं में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव

डॉ.महेश शुक्ला
प्राध्यापक समाजशास्त्र
शास.टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
एवं
क्षमा दुबे
शोध छात्रा
शास.टी.आर.एस. महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश

आज की दुनिया जनसंचार माध्यमों की दुनिया है। आज जनसंचार माध्यम के नई तकनीक के मानव जीवन के विविध पक्षों को प्रभावित किया है। पहले जहाँ जनसंचार माध्यम के सीमित साधन थे वहीं वर्तमान समाज में जनसंचार के वैविधतामूलक साधनों का निर्माण हुआ है। आज का समाज विकसित समाज के रूप में जाना जाता है। जनसंचार के साधनों ने जहाँ समाज को आधुनिक संस्कृति की ओर धकेला वहीं जनसंचार माध्यमों के प्रभाव समाज को उत्तर आधुनिकता की ओर विकसित किया है। वास्तव में उत्तर आधुनिकता समाज का आधुनिकतम रूप है। इसकी विचारधारा वह जो आधुनिकता के साथ जुड़े हुये सम्पूर्ण सामाजिक स्वरूपों को ध्वस्त करती है।

प्रस्तुत अध्ययन रीवा नगर की महिलाओं पर केन्द्रित है। इस अध्ययन में यह जानने का प्रयास किया गया है कि नगरीय महिलाओं पर संचार के साधनों का कितना प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्य शब्द- *जन संचार के साधन,उत्तर आधुनिक समाज,महिलायें एवं जन-माध्यम।*

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्